

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २००५

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है रामभरत श्यामल एम.पी. स्टेट एग्रीकल्चरल इंजीनियर

2. वर्तमान धारित पद अपेक्टर
3. वर्तमान वेतन ₹ 5700/- DA अगली वेतनवृद्धि की तारीख 30/6/10

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किस प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. मोहनगढ़ जिला	गृह भवन	—	4,00,000/-	पत्नी के नाम पर	लगातार खरीद निर्मित किया 2005-06	स्वयं के नाम पर	
2. जिला कुशीनारा	—	कुशीनारा जिला 0.7 हेक्टा	3,00,000/-	स्वयं के नाम पर	पट्टा सम्पत्ति प्रमाणपत्र	30,000/- वार्षिक	
3. जिला बिजनौर	—	कुशीनारा जिला 1.10 हेक्टा	4,00,000/-	पत्नी के नाम पर	विरासत में मिली कच्ची भूमि पर दागम विनी	25,000/- वार्षिक	

* - जहां लागू न हो काट दीजिए।
** - ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
*** - इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवकों (आचरण) नियम, 1959-के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर रामभरत श्यामल
नाम रामभरत श्यामल
पद अपेक्टर
एम.पी. स्टेट एग्रीकल्चरल इंजीनियर
मोहनगढ़ जिला कुशीनारा